राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	439/2013 गणेश नारायण बाजिया	1. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. उप निदेशक, पशुपालन विभाग, सीकर।	17.06.2013	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
2.	440/2013 रमेश चन्द शर्मा	1. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. सहायक निदेशक, पशुमाता उन्मूलन योजना, मुख्यालय पशुधन विभाग, जयपुर।		

आदेश की दिनांक : 16.05.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः उक्त दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 439/2013 गणेश नारायण बाजिया बनाम निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी के समान नियुक्त कर्मचारी पशुधन सहायक श्री बनवारी लाल शर्मा के समान 15 वर्षीय चयनित वेतनमान की आगामी वेतन वृद्धि का लाभ दिनांक 02.05.1990 के स्थान पर मई, 1989 से फिक्स कर समस्त एरियर मय ब्याज दिये जाने का आदेश फरमाया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 29.04.1974 के द्वारा स्कन्ध सहायक के पद पर हुई थी तथा श्री बनवारी लाल शर्मा की भी नियुक्ति उक्त आदेश के द्वारा हुई थी। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.04.2001 को भेड, ऊन विभाग को पशुपालन विभाग

में विलय कर दिया गया और अपीलार्थी के पद को पशुधन सहायक का पद मानकर पदस्थापित कर दिया गया। अपीलार्थी दिनांक 31.01.2010 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। श्री बनवारी लाल शर्मा जिला भेड, ऊन अधिकारी टोंक द्वारा आदेश दिनांक 24.06.1999 को 15 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया और आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 08.05.1990 निश्चित की गई। जबकि उक्त कार्मिक अपीलार्थी से कनिष्ठ था। अपीलार्थी के 15 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 02.05.1989 से स्वीकृत किया गया। परंतु आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 08.05.1989 से दी गई, जिससे अपीलार्थी को एक वेतन वृद्धि का सेवानिवृत्ति की दिनांक तक नुकसान उठाना पड़ा। बनवारी लाल शर्मा की आगामी वेतन वृद्धि का लाभ दिनांक 08.05.1989 से जबकि अपीलार्थी को दिनांक 02.05.1990 से दिया गया जो कि बनवारी लाल शर्मा के समान दिया जाना चाहिए था, जो सेवा नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी के समान नियुक्त कर्मचारी पशुधन सहायक श्री बनवारी लाल शर्मा के समान 15 वर्षीय चयनित वेतनमान की आगामी वेतन वृद्धि का लाभ दिनांक 02.05.1990 के स्थान पर मई, 1989 से फिक्स कर समस्त एरियर मय ब्याज दिये जाने का आदेश फरमाया जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जबाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी अपने से कनिष्ठ श्री बनवारी लाल शर्मा, स्कन्ध सहायक से दिनांक 08.05.1989 से कम वेतन प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 29.04.1974 के द्वारा स्कन्ध सहायक के पद पर हुई थी तथा श्री बनवारी लाल शर्मा की भी नियुक्ति उक्त आदेश के द्वारा हुई थी। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.04.2001 को भेड, ऊन विभाग को पशुपालन विभाग में विलय कर दिया गया और अपीलार्थी के पद को पशुधन

सहायक का पद मानकर पदस्थापित कर दिया गया। अपीलार्थी दिनांक 31.01.2010 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। श्री बनवारी लाल शर्मा जिला भेड, ऊन अधिकारी टोंक द्वारा आदेश दिनांक 24.06.1999 को 15 वर्षीय सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिया गया और आगामी वेतन वृद्धि दिनांक 08.05.1990 निश्चित की गई। बनवारी लाल शर्मा की आगामी वेतन वृद्धि का लाभ दिनांक 08.05.1989 से जबकि अपीलार्थी को दिनांक 02.05.1990 से दिया गया जो कि बनवारी लाल शर्मा के समान दिया जाना चाहिए था। जहां तक अपीलार्थी को श्री बनवारी लाल शर्मा के समान तिथी से वेतन वृद्धि आदि का लाभ प्रदान नहीं किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.05.2015 के द्वारा दिनांक 08.05.1989 से श्री बनवारी लाल के समान दिनांक 08.05.1989 से वेतन विसंगति का लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ भुगतान किये जाने का कोई साक्ष्य/दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को उक्त लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति को स्वीकारा है, परंतु भुगतान नहीं किये जाने का कोई प्रमाण नहीं है। अतः अपीलार्थीगण के उक्त तर्कों के आधार पर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपर्युक्त तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती हैं तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश दिनांक 05.05.2015 के द्वारा दिनांक 08.05.1989 से श्री बनवारी लाल के समान दिनांक 08.05.1989 से वेतन विसंगति का लाभ दिये जाने की जो स्वीकृति प्रदान की गई है। अपीलार्थीगण को उक्त वेतन विसंगति का लाभ भुगतान भी शीघ्र किया जावे।

मूल आदेश अपील संख्या 439/2013 गणेश नारायण बाजिया बनाम निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 440/2013 रमेश चन्द शर्मा में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य